गुरू घासीदास विश्वविद्यालय

विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से पुनः खोले जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)–

01. पहले चरण में पीएचडी छात्रों/शोध छात्रों/स्नातकोत्तर छात्रों के लिए विश्वविद्यालय खुलेगा। बाद में स्नातक एवं अन्य छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

02. पहले चरण में, सभी पीएचडी/स्नातकोत्तर छात्रों को अपनी मर्जी से विश्वविद्यालय आने की अनुमति दी गई है, जो निम्नानुसार तिथियों से लागू है–

अ. 25 अक्टूबर, 2021– स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के छात्र

ब. 01 नवंबर, 2021 से स्नातकोत्तर पहले सेमेस्टर के छात्र

03. विश्वविद्यालय आने के इच्छुक पीएचडी/स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रावास अधीक्षक (यदि छात्रावास में प्रवेश लिया हो) या संबंधित विभागाध्यक्ष (घर से विश्वविद्यालय आने की स्थिति में) के समक्ष निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा–

अ. पूर्ण टीकाकरण (दोनों डोज) का प्रमाण– पत्र

ब. नवीनतम नेगेटिव आरटी–पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट (अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए)

स. विद्यार्थी को अनुमति देने संबंधी माता–पिता/पालकों का वचन–पत्र।

04. छात्रावास में सीट की उपलब्धता एवं तय प्रक्रिया के अनुसार विभागों की अनुशंसा के आधार पर स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

05. विभाग एवं छात्रावास के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन की सुविधा रहेगी। विश्वविद्यालय आने वाले छात्रों को विभाग/छात्रावास के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग कराना एवं हाथ व हैंड बैग को सैनीटाइज कराना अनिवार्य है।

06. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ बड़ा बैग एवं अनावश्यक सामान न लायें।

07. विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे पॉकेट सैनिटाइटजर तरल हैंड वॉश एवं पानी की बॉटल भी अपने साथ रखें। कक्षा/बैठने के स्थान/प्रयोगशाला/कैफेटेरिया में छात्र अपने इन सामानों का प्रयोग करें।

08. प्रयोगशाला में प्रवेश करते समय या विभागाध्यक्ष/शिक्षक/शोध निर्देशक स्टाफ से मिलते वक्त छात्र 20 सेकेंड तक अपने हाथ को कोहनी तक साबुन से धोयें।

09. परिसर में पूरे समय मास्क पहनाना अनिवार्य है।

10. कोविड –19 को रोकने के उपाय एवं सामाजिक दूरी व हाथ व श्वसन तंत्र की स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न स्थानों एवं प्रयोगशाला/गलियारा/प्रसाधन कक्ष में पोस्टर एवं संकेतक लगाया जाना चाहिए।

11. विभागीय क्लास रूम/प्रयोगशाला एवं सेमीनार कक्ष में सामाजिक दूरी पर निगरानी रखने के लिए विभागाध्यक्ष को समिति गठित करना होगी। इस समिति में विभाग के सभी शिक्षकों को रखा जा सकता है।

12. कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करते हुए विश्वविद्यालय कैफेटेरिया खोला जा सकता है।

13. जरूरी चीजों को छोड़कर अन्य सामान या खाद्य सामग्री क्लास रूम/प्रयोगशाला में नहीं लाना है एवं छात्रावास में लाने से भी परहेज करना है। (चिप्स, बिस्किट जैसे पैकेट बंद/संसाधित खाद्य सामग्री का उपयोग उचित सैनिटाइजेशन के बाद किया जा सकता है)

14. छात्र ऑनलाइन मंगाई गई खाद्य सामग्री को कक्षा/प्रयोगशाला लाने से बचें।

15. प्रसाधन कक्ष/प्रयोगशालाओं की प्रतिदिन सफाई की भी अनुशंसा की गई है एवं कक्षा/बैठने के स्थान को साफ–सुथरा रखने में छात्रों को भी सहयोग करना चाहिए।

16. शोध कार्य/अध्ययन से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं के लिए छात्रों को गतिविधि सीमित होना चाहिए। सभी आवश्यक गतिविधियों के लिए कोविड–19 प्रोटोकॉल के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए।

17. छात्रों को भोजन के पहले एवं बाद में अनिवार्य रूप से हाथ धोना चाहिए।

18. यदि किसी छात्र को पर स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक परेशानी होती है, तो इलाज के लिए उसे तत्काल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र एवं उसके शोध निर्देशक/संबंधित विभागाध्यक्ष या शहर के किसी नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए।

19. परिसर आते वक्त छात्रों को अपने साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र भी साथ लेकर आना है। तथापि नव प्रवेशित छात्रों को उनके पहचान पत्र जारी होने तक इससे छूट रहेगी।

20. रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार एवं गुरू घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पालन छात्रों को अनिवार्यतः करना है।

21. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी अनुभाग पोस्टर एवं संकेतक बोर्ड लगाने की व्यवस्था करेगा। अभियांत्रिकी अनुभाग उपयोग किए गए मास्क, दस्ताने आदि को एकत्र करने के लिए विशेष कूड़ेदान की भी व्यवस्था करेगा।

22. विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी अनुभाग/भंडार या विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशन/देखरेख में साफ–सफाई के लिए नियुक्त एजेंसी छात्रावास, विभागीय प्रयोगशाला, भवन, खेलकूद का मैदान, कैफेटेरिया सहित संपूर्ण परिसर की नियमित साफ–सफाई एवं रखरखाव करेगी।

23. अधिष्ठाता, अपने विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्षों की बैठक लेंगे एवं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं अन्य दिशा–निर्देशों के सख्ती से पालन के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे।

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोविड–19 महामारी के बाद लॉकडाउन के दौरान परिसर लौटने के लिए वचन–पत्र

मैं.....(नाम) पीएचडी छात्र/शोध छात्र/स्नातकोत्तर छात्र, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय निम्नानुसार वचन देती/देता हूं कि

01. मैं अपनी मर्जी से परिसर लौट रही/रहा हूं एवं परिसर लौटने पर कोविड–19 से संबंधित जोखिम की मुझे जानकारी है।

02. मेरा शोध कार्य/अध्ययन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि प्रयोग करने और या मेरे शोध कार्य से संबंधित संगणकीय कार्य करने में मैं असमर्थ हूं।

03. मैंने अपने पालक/माता–पिता/जीवनसाथी की अनुमति से परिसर लौटने का निर्णय लिया है एवं वे मेरे निर्णय से सहमत हैं।

04. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि निर्देशों का मैं पालन करूंगा।

05. मैं जानता हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन नहीं करना आचरण संहिता का उल्लंघन है एवं परिणामस्वरूप मुझे भारी दण्ड दिया जा सकता है।

06. मैं जानता हूं कि परिसर में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनेक सावधानी बरत रहा है। तथापि, खुद की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरतना मेरी जिम्मेदारी है।

दिनांकः...../...../.....

स्थानः.

(छात्र का हस्ताक्षर)

नाम–

पंजीयन क्रमांक–

मोबाइल नंबर–

.....

पालक/जीवनसाथी का नाम एवं हस्ताक्षरः

(आपात स्थिति में संपर्क किया जाएगा)

छात्र के साथ संबंधः

पालक/माता–पिता का फोन नंबर/मोबाइल नंबरः

.....

मैं सहमत हूं कि प्रायोगिक कार्य और/या शोध के संगणकीय कार्य को पूर्ण करने के लिए छात्र का परिसर में आना जरूरी है।

दिनांकः...../...../.....

शोध निर्देशक के हस्ताक्षर

नाम–

पदनाम–

विभाग –